विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण फोरम, दुर्ग

दुर्ग क्षेत्रीय कार्यालय, रायपुर नाका दुर्ग

क्रमांक / विउशिनिफोदु / 2026 / 303

दुर्ग, दिनांक 21/9/26

(अध्यक्ष — श्री पी. वी. सजीव)
(सदस्य — श्रीमती ममता कश्यप)
प्रकरण क्रमांक: 123
दिनांक: 08/05/2026

अधीक्षण यंत्री
नगर निगम भिलाई
बी.पी.क्रमांक — 1001989371

आवेदक

विरुद्ध

1. कार्यपालन यंत्री, भिलाई सिटी डिविजन वेस्ट
2. सहायक यंत्री, नेहरु नगर जोन

अनावेदकगण

आदेश

(आज दिनांक 17/09/26 को पारित किया गया)

1. परिवाद का संक्षिप्त विवरण

आवेदक द्वारा नगर निगम भिलाई के अंतर्गत सड़क बत्ती प्रयोजन हेतु स्थापित विद्युत कनेक्शन, बी.पी. क्रमांक 1001989371, स्वीकृत भार 10.00 किलोवाट, में विद्युत बिल सही नहीं होने के संबंध में शिकायतध्परिवाद प्रस्तुत किया गया है।

आवेदक द्वारा मुख्यतः मीटर के डिफेक्टिव रहने की अवधि में की गई औसत बिलिंग, कैपेसिटर सरचार्ज तथा स्वीकृत भार में कमी किए जाने के संबंध में आपत्ति एवं अनुरोध प्रस्तुत किया गया है।

2. निर्विवाद तथ्य

मामले में उभय पक्षों के मध्य निम्नलिखित तथ्यों पर विवाद नहीं है –

1. उपरोक्त विद्युत कनेक्शन नगर निगम भिलाई की सड़क बत्ती के प्रयोजन हेतु स्थापित है।
2. उक्त कनेक्शन का स्वीकृत भार 10.00 किलोवाट है।
3. उक्त कनेक्शन में स्थापित मीटर दिसंबर 2022 से अगस्त 2025 तक डिफेक्टिव रहा।
4. उक्त कनेक्शन में सितंबर 2025 में स्मार्ट मीटर स्थापित किया गया।

3. आवेदक की शिकायत

आवेदक द्वारा शिकायत में उल्लेख किया गया है कि नवंबर 2023 से जुलाई 2025 की अवधि के लिए 788 यूनिट औसत खपत के आधार पर बिल जारी किया गया है, जबकि उक्त अवधि में मीटर की सही रीडिंग उपलब्ध नहीं थी तथा उचित मीटर रीडिंग अथवा फील्ड वेरिफिकेशन के आधार पर बिलिंग नहीं की गई।

आवेदक का कथन है कि उक्त असेसमेंट उचित आधार पर नहीं किया गया है तथा इसमें आवश्यक संशोधन किया जाना चाहिए।

आवेदक द्वारा यह भी आपत्ति की गई है कि उक्त कनेक्शन का उपयोग सड़क बत्ती के लिए किया जाता है तथा मीटर के डिफेक्टिव रहने की अवधि में कैपेसिटर सरचार्ज लगाया गया है, जो उचित नहीं है। अतः उक्त अवधि में लगाए गए कैपेसिटर सरचार्ज को निरस्त किए जाने का अनुरोध किया गया है।

इसके अतिरिक्त, आवेदक द्वारा कनेक्शन का वर्तमान स्वीकृत भार 10.00 किलोवाट से घटाकर 5.00 किलोवाट किए जाने का अनुरोध किया गया है।

4. अनावेदकगण का उत्तर

अनावेदकगण द्वारा उक्त कनेक्शन से संबंधित दिसंबर 2022 से अगस्त 2026 तक का बिलिंग डाटा एवं गणना पत्र प्रस्तुत किया गया है।

अनावेदकगण द्वारा अवगत कराया गया है कि उक्त कनेक्शन में स्थापित मीटर दिसंबर 2022 से अगस्त 2025 तक डिफेक्टिव रहा तथा सितंबर 2025 में स्मार्ट मीटर स्थापित किया गया।

5. विचारणीय प्रश्न

प्रकरण के समुचित निराकरण हेतु निम्नलिखित विचारणीय प्रश्न निर्मित किए जाते हैं –

1. क्या मीटर के डिफेक्टिव रहने की अवधि में 788 यूनिट औसत खपत के आधार पर की गई बिलिंग को संशोधित किया जाना उचित है?

2. क्या मीटर के डिफेक्टिव रहने की अवधि में लगाए गए कैपेसिटर सरचार्ज की राशि देय है?

3. क्या आवेदक के अनुरोध पर कनेक्शन का स्वीकृत भार 10.00 किलोवाट से घटाकर 5.00 किलोवाट किया जा सकता है?

6. विवेचना एवं निष्कर्ष

फोरम द्वारा प्रकरण में प्रस्तुत अभिलेखों तथा अनावेदकगण द्वारा प्रस्तुत मीटर डायरी, बिलिंग डाटा एवं रीडिंग/गणना पत्रक का अवलोकन किया गया।

विचारणीय प्रश्न क्रमांक 1 के संबंध में

अभिलेखों के अवलोकन से यह तथ्य सामने आता है कि उपभोक्ता के कनेक्शन में स्थापित मीटर दिसंबर 2022 से अगस्त 2025 तक डिफेक्टिव रहा। उक्त अवधि के दौरान उपभोक्ता की बिलिंग 788 यूनिट औसत मासिक खपत के आधार पर की गई।

यह भी अभिलेख से स्पष्ट है कि उपभोक्ता के कनेक्शन में सितंबर 2025 में स्मार्ट मीटर स्थापित किया गया। स्मार्ट मीटर स्थापित होने के पश्चात उपलब्ध रीडिंग के आधार पर औसत खपत 525 यूनिट प्रतिमाह पाई गई।

अतः मीटर के डिफेक्टिव रहने की अवधि में 788 यूनिट औसत खपत के आधार पर की गई बिलिंग के स्थान पर स्मार्ट मीटर स्थापित होने के पश्चात उपलब्ध वास्तविक खपत को आधार मानते हुए औसत खपत निर्धारित किया जाना उचित होगा।

फलतः फोरम का निष्कर्ष है कि दिसंबर 2022 से अगस्त 2025 तक की डिफेक्टिव मीटर अवधि की बिलिंग 525 यूनिट औसत मासिक खपत के आधार पर पुनर्गणना किया जाना उचित है, तथा लागू नियमों के अनुसार संशोधित बिल तैयार किया जाए।

विचारणीय प्रश्न क्रमांक 2 के संबंध में

अभिलेखों के अवलोकन से यह भी स्पष्ट है कि मीटर के डिफेक्टिव रहने की अवधि के दौरान उपभोक्ता के बिल में कैपेसिटर सरचार्ज लगाया गया है।

मीटर के डिफेक्टिव रहने की अवधि में संबंधित विद्युत पैरामीटरों की विश्वसनीय मीटर रीडिंग उपलब्ध नहीं होने की स्थिति में उक्त अवधि के लिए कैपेसिटर सरचार्ज आरोपित किया जाना उचित नहीं माना जा सकता।

अतः फोरम का निष्कर्ष है कि मीटर के डिफेक्टिव रहने की अवधि में लगाए गए कैपेसिटर सरचार्ज की राशि को निरस्त किया जाना उचित है।

विचारणीय प्रश्न क्रमांक 3 के संबंध में

आवेदक द्वारा कनेक्शन का वर्तमान स्वीकृत भार 10.00 किलोवाट से घटाकर 5.00 किलोवाट किए जाने का अनुरोध किया गया है।

इस संबंध में फोरम का मत है कि स्वीकृत भार में कमी नियमानुसार आवेदन प्राप्त होने तथा आवश्यक परीक्षण एवं सत्यापन के पश्चात की जा सकती है।

अतः आवेदक द्वारा नियमानुसार भार कमी हेतु आवेदन प्रस्तुत किए जाने पर अनावेदकगण द्वारा आवश्यक परीक्षण/सत्यापन कर लागू नियमों के अनुसार कार्यवाही किया जाना उचित होगा।

7. आदेश

उपरोक्त विवेचना एवं निष्कर्ष के आधार पर फोरम निम्नानुसार आदेश पारित करता है –

1. अनावेदकगण को निर्देशित किया जाता है कि मीटर के डिफेक्टिव रहने की अवधि दिसंबर 2022 से अगस्त 2025 के दौरान 788 यूनिट औसत खपत के आधार पर की गई बिलिंग की पुनर्गणना करें तथा स्मार्ट मीटर स्थापित होने के पश्चात उपलब्ध वास्तविक खपत के आधार पर निर्धारित 525 यूनिट औसत मासिक खपत को ध्यान में रखते हुए, लागू नियमों के अनुसार उक्त अवधि की बिलिंग का संशोधन कर संशोधित बिल तैयार करें।

2. मीटर के डिफेक्टिव रहने की अवधि के दौरान लगाए गए कैपेसिटर सरचार्ज की राशि को निरस्त किया जाए तथा संशोधित बिल में उसका समुचित समायोजन किया जाए।

3. आवेदक द्वारा स्वीकृत भार को 10.00 किलोवाट से घटाकर 5.00 किलोवाट किए जाने के संबंध में, आवेदक द्वारा नियमानुसार आवेदन प्रस्तुत किए जाने पर अनावेदकगण आवश्यक परीक्षण/सत्यापन कर लागू नियमों के अनुसार आवश्यक कार्यवाही करें।

4. उपरोक्त संशोधन के पश्चात यदि उपभोक्ता के खाते में कोई अतिरिक्त राशि जमा/वसूल होना पाई जाती है, तो लागू नियमों के अनुसार उक्त राशि का आगामी बिलों में समायोजन किया जाए।

5. अनावेदकगण संशोधित बिलिंग गणना पत्र तैयार कर उसकी प्रति आवेदक को उपलब्ध कराएं तथा इस आदेश के अनुपालन की रिपोर्ट 30 दिवस के भीतर फोरम के समक्ष प्रस्तुत करें।

6. उपरोक्त निर्देशों के साथ प्रस्तुत परिवाद स्वीकार किया जाता है एवं प्रकरण का निराकरण किया जाता है।

7. यदि आवेदक इस आदेश से संतुष्ट न हो, तो वह इस आदेश की दिनांक से 45 दिवस के भीतर माननीय विद्युत लोकपाल, छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत नियामक आयोग, आयोग परिसर, सिंचाई कॉलोनी, शांति नगर, रायपुर (छ.ग.) के समक्ष अपील प्रस्तुत कर सकता है।

8. आदेश पारित।

9. प्रकरण निराकृत।

आदेश मेरे द्वारा बोलकर टंकित कराया गया।

(ममता कश्यप)
सदस्या
विद्युत उपभोक्ता शिकायत
निवारण फोरम दुर्ग

(पी.वी. राजीव)
अध्यक्ष
विद्युत उपभोक्ता शिकायत
निवारण फोरम दुर्ग